न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश (SC/ST Act), बक्सर

एस0 सी0 / एस0 टी0 केस नं0– 130 / 2020

बिहार राज्य
बनाम्
उमेश सिह एव धीरज सिह

[ब्रह्मपुर थानाकाड स0-588/2020]

11.01.2022 आवेदकगण 1 उमेश सिह व 2 धीरज सिह की ओर से प्रस्तुत आत्मसमर्पण–सह–जमानत आवेदन सदर्भित ब्रह्मपुर थानाकाड स0 588/2020 अतर्गत धारा 341 323 504 506 34 भा0 द0 वि0 एव धारा 3(1)(r)(s) SC/ST Act पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री डॉ कामोद प्रसाद सिह एव विपक्षी विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री शिवकुमार राम को सुना। आवेदकगण को न्यायिक अभिरक्षा मे लिया गया।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण पूर्णतया निर्दोष हैं और उन्हे इस मामले मे झूठा फसाया गया है। आवेदकगण की ओर से कोई भी जमानत आवेदन ना तो इस न्यायालय मे और ना ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना मे दाखिल है। पुलिस द्वारा अनुसधान के क्रम में आवेदकगण को द0 प्र0 स0 की धारा 41(1) का लाभ दिया गया है। सज्ञान पश्चात आवेदकगण के विरूद्ध दिनाक 24 11 2021 को सम्मन निर्गत किया गया है। सज्ञान पश्चात अभियुक्तगण की यह प्रथम उपस्थिति है। अत जमानत पर मुक्त करने की याचना करते है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने आवेदन उपरोक्त का घोर विरोध किया।

अभिलेख का अवलोकन किया. अवलोकन से विदित होता है कि आवेदकगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं। इस वाद मे अनुसधानोपरात दिनाक 19 12 2020 को आरोप पत्र स0– 356 / 2020 अतर्गत धारा 341 323 504 34 भा0 द0 वि0 एव धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) SC/ST (POA) Act न्यायालय मे समर्पित किया गया है एव उपरोक्त धाराओ मे ही दिनाक 25 10 2021 को सज्ञान लिया गया है तथा आवेदकगण की उपस्थिति हेतु दिनाक 24 11 2021 को सम्मन निर्गत किया गया है। सज्ञान पश्चात् अभियुक्तगण की यह प्रथम उपस्थिति है। वाद दैनिकी की कडिका 16 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा द0 प्र0 स0 की धारा 41(1) का नोटिस तामिला कराया गया है। अत आवेदकगण को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसगत प्रतीत होता है। अस्तु जमानत आवेदन उपरोक्त मो0 10,000– 10 000 / – रूपये का व्यक्तिगत बध पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण दौरान विचारण मामले की प्रत्येक तिथियों पर उपस्थित रहकर विचारण मे सहयोग करेगे।

लेखापित

11/1/22

अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश प्रथम
–सह–विशेष न्यायाधीश (एस0 सी0 / एस0 टी0),
बक्सर।